8. FN D

## गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश)

जीबीयू/002/प्रशा0/ र्इ. र्ड-/2-16 - 101

दिनांक ०० मई, २०१६

## ःःकार्यालय आदेशःः

प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 12.01.2016 को सम्पन्न हुई सतरहवीं बैठक के बिन्दु संख्या 17.16.11 में लिए गये निर्णयों के कम में विश्वविद्यालय के कन्वेंशन सेंटर में आगन्तुकों के ठहरने हेतु कमरों का आवंटन एवं शुल्क का निर्धारण निम्नवत् हैं –

क्र.सं.	श्रेणी	आगन्तुक/अधिकारियों का विवरण	निर्धारित किराया रू०
1	श्रेणी-ए	i) समस्त घोषित राज्य अतिथि।	निःशुल्क
		ii) गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के बोर्ड आफ	निःशुल्क
		, गवरनर्स, बोर्ड आफ मैनेजमेंट, वित्त सिमति,	
		एकेडमिक काउंसिल के आमंत्रित सदस्य,	
		एक्सपर्ट सलेक्शन समिति, स्क्रीनिंग समिति,	
		मेंबर एग्जामनर आफ जी.बी.यू., स्ट्रक्चर बॉडी	
		विजिटिंग कमेटी एवं गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय	
		के सक्षम अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय के	
		घोषित अतिथि (पूर्व में अनुमति प्राप्त की	U x mills
		जानी आवश्यक है)।	
2	श्रेणी-बी	भारत सरकार के कैबिनेट सचिव से संयुक्त सचिव,	रू0 500/ <del>-</del> प्रति
		एवं समकक्ष स्तर तक के अधिकारी, उत्तर प्रदेश	दिन।
	18 - 100 5 70	एवं अन्य राज्यों के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव,	
		सचिव एवं इनके समकक्ष स्तर तक के अधिकारी,	
		कुलपति/निदेशक, ग्रेटर नोएडा चिकित्सा	
		विश्वविद्यालय, नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण एवं	
		अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग उत्तर	
		प्रदेश के प्रमुख सचिव से उप मुख्य कार्यपालक	
	object	अधिकारी एवं समकक्ष स्तर तक के अधिकारी।	7
		ो ए तथा बी के अधिकारियों के व्यक्तिगत प्रवास त दिन की दर से।	ाथा निजी अतिथियों से
3	श्रेणी-सी	किसी अन्य केन्द्रीय/राजकीय विश्वविद्यालय के	<u>ক</u> 0 1500/– प्रति
		कुलपति/निदेशक अथवा समकक्ष, प्रोफ़ेसर एवं	दिन।
		एसोसिऐट प्रोफेसर।	
4	श्रेणी–डी	चिकित्सा विश्वविद्यालय, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना	হূত 1500/ <del>-</del> प्रति
		प्राधिकरण के रू० ६६००/- तक अथवा उससे	दिन।
		अधिक के ग्रेड पे वाले समस्त अधिकारीगण/	
		संकायः सदस्य एवं उनके अतिथि।	7 Y 10 1



5	श्रेणी-ई	गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कान्फ्रेंस में आये अतिथियों हेतु।	रू० 1000/- प्रति दिन।
6	श्रेणी–एफ	किसी अन्य विश्वविद्यालय/ कालेज/संस्था द्वारा आयोजित कान्फ्रेंस हेतु आये आगन्तुक गण	रू० 2000/- प्रति दिन।
7	श्रेणी–जी	गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के अधिकारी/कर्मचारियों के निजी अतिथि	रू० 1000/- प्रति दिन।
8	श्रेणी–एच	स्वेच्छा से आये आगन्तुक गण	रू० 3000/- प्रति दिन एक दिन तब के लिए। एक से द दिन के लिए दूस दिन रू० 2500/- दो दिन से अधिव पर रू० 2000/- प्रति दिन (तीसरे दिव
9	श्रेणी–आई	10 या उससे अधिक कमरों की एक साथ बुकिंग हेतु	से आगे के लिए)

## अन्य नियम व शर्ते:-

- विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी/संकाय सदस्य को अपने अतिथि को कन्वेंशन सेन्टर/गेस्ट हाउस में ठहराने के लिए सामान्यतः प्रारम्भ में अधिकतम 3 दिनों/रात्रि हेतु अनुमति दी जायेगी।
- 2. विश्वविद्यालय में अध्ययनरत/निवासरत छात्र/छात्राओं के अभिभावकों को गेस्ट हाउस में ठहरने हेतु इनके द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र को सम्बन्धित छात्रावास के छात्रावास अभिरक्षक एवं सम्बन्धित स्कूल के अधिष्ठाता द्वारा संस्तुति सहित सक्षम अधिकारी को प्रेषित किया जाना होगा। सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमित के उपरान्त ही इन्हें ठहरने की सुविधा प्रदान की जायेगी।
- डबल बेड के एक कमरे में अधिकतम दो व्यक्तियों के ही ठहरने की अनुमित होगी।
- 4. ऐसे अतिथि जो गम्भीर बिमारी पीडित होंगे, मूक बिघर होंगे अथवा जिन्हें चिकित्सकों द्वारा completely bed rest की सलाह दी गयी होगी, उन्हें ठहरने की अनुमित प्रदान नहीं की जायेगी।
- 5. आगन्तुकों के साथ किसी भी प्रकार के पालतू जानवर रखने की अनुमति नहीं होगी।
- 6. चेक इन का समय अधिकतम रात को 9.00 बजे तक होगा। इसके उपरान्त किसी भी आगन्तुक/अतिथि को ठहरने की अनुमित नहीं दी जायेगी।
- 7. विशेष परिस्थितियों में कन्वेंशन सेन्टर/गेस्ट हाउस के कमरों की निःशुल्क अनुमित एक दिन तक के लिए (अधिकतम 02 कमरों हेतु) कुलसचिव तथा इससे अधिक के लिए माननीय कुलपित द्वारा प्रदान की जा सकती है।
- 8. दिनांक 15 मार्च से 15 नवम्बर के मध्य कन्वेंशन सेन्टर अथवा गेस्ट हाउस के ए.सी. प्लान्ट (सेन्ट्रल प्लान्ट) अधिक बुकिंग अथवा विशेष परिस्थितियों में ही चलाया जायेगा। इसके लिए किसी भी आगन्तुक का तर्क अमान्य होगा। इन दरों में किसी भी प्रकार का नाश्ता/भोजन सिम्मिलित नहीं है। आगन्तुक वास्तिविक भुगतान करके नाश्ता/भोजन प्राप्त कर सकते हैं।

इस कम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रबन्ध बोर्ड द्वारा उक्त लिया गया निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सहायक कुलसचिव

प्रतिलिपिः

ा. मा० कुलपति महोदय की निजी सचिव को महोदय के संज्ञान में लाने हेतु।

- 2. निदेशक (कार्य )को सूचनार्थ।
- 3. सहायक कुलसचिव को सूचनार्थ।
- अः सिस्टम मैनेजर को इस आशय से प्रेषित कि विश्वविद्यालय के समस्त कर्मियों को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करना एवं विश्वविद्यालय के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

सहायक कुलसचिव